राहविनि
नैगमिक सामाजिक
उत्तरदायित्व
तथा
स्थिरता नीति
2014

अनुक्रमणिका

1. **अवधारणा**

1.1 लघु शीर्षक तथा प्रयोजनीयता

1.2 सी.एस.आर. का लक्ष्य तथा उद्देश्य

2. **संसाधन**

2.1. निधिकरण तथा गतिविधियां

3. **योजना**

4. **कार्यान्वयन**

4.1 से 4.5 तक कार्यान्वयन के सामान्य बिन्दु

4.6. कार्यान्वयन की प्रक्रिया

4.6.1. कार्यक्रमों की पहचान

4.6.2. सी.एस.आर. कार्यकलापों का क्षेत्र

4.6.3. परियोजना आधारित प्रस्ताव

4.7. अनुमोदन की शक्तियॉ

4.8. निष्पादक भागीदार/ संस्थाऐं

4.9. निष्पादक संस्था की पहचान के मानक

4.10. रा.ह.वि.नि. तथा निष्पादक संस्था के मध्य अनुबन्ध

5. **अनुश्रवण तथा प्रतिक्रिया**

6. **सामान्य**

रा.ह.वि.नि. नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता नीति 2014

अध्याय 1

1. अवधारणा:

1.1. लघु शीर्षक तथा प्रयोजनीयता:

1.1.1. वह नीति, जो कम्पनी की विचारधारा को समाहित करते हुए, नैगमिक नागरिक के रूप में अपने उत्तरदायित्वों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है तथा विस्तृत रूप में समुदाय के कल्याण एवं सतत् विकास के लिए सामाजिक रूप से उपयोगी कार्यक्रमों के संचालन हेतु मार्ग-निर्देश तथा प्रणाली निर्धारित करती है, उसे '**राहविनि नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व तथा स्थिरता नीति 2014**' कहा गया है।

1.1.2 यह नीति राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (रा.ह.वि.नि.) के क्षेत्रीय तथा ज़ोनल कार्यालयों के तहत, विभिन्न केन्द्रों/ स्थानों पर समाज के विभिन्न खण्डों, जिसमें हथकरघा बुनकर भी शामिल हैं, के लाभार्थ की गयी समस्त नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व पहल या कार्यों पर लागू होगी।

1.1.3 मुख्यालय स्तर पर नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व से सम्बन्धित समग्र कार्यकलापों को एक नोडल अधिकारी (सी.एस.आर) द्वारा समन्वित किया जाएगा। इस हेतु, निगम के कम्पनी सचिव, नोडल अधिकारी (सी.एस.आर) के रूप में कार्य करेंगे।

1.2 नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व का लक्ष्य तथा उद्देश्य

1.2.1 निगम के लक्ष्य के साथ सुनियोजन करते हुए, रा.ह.वि.नि. अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के कर्तव्यों की पूर्ति हेतु, अपनी सेवाओं, आचरण तथा नेतृत्व के माध्यम से, समाज तथा समुदाय के उस हिस्से में, जहॉ वह अपने कार्यों को संचालित करता है, खास तौर पर हथकरघा क्षेत्र में, मूल्यों की स्थापना का कार्य इस तरह से बढ़ाएगा, ताकि समाज व समुदाय का सतत् विकास हो।

1.2.2 रा.ह.वि.नि. नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व तथा स्थिरता नीति का उद्देश्य इस प्रकार है:

1.2.2.1 संगठन के सभी स्तरों पर प्रतिबद्धता में वृद्धि को सुनिश्चित करने हेतु, अपने साझेदारों के हित को ध्यान में रखते हुए, अपने कारोबार को आर्थिक रूप से तथा सामाजिक रूप से सतत् तरीके से करना।

1.2.2.2 प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कार्यक्रमों को शुरू करना, जिनसे उसके कार्य संचालन की परिधि में आने वाले हथकरघा समुदाय को लाभ पहुँचे तथा जिनके परिणामस्वरूप स्थानीय जनसमुदाय का जीवन स्तर ऊँचा हो और उनका आर्थिक कल्याण सुनिश्चित हो सके।

1.2.2.3 अपनी नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के माध्यम से रा.ह.वि.नि. के प्रति सद्भाव जागृत करना तथा रा.ह.वि.नि. के नैगमिक अस्तित्व की सकारात्मक एवं सामाजिक रूप से जिम्मेदार छवि को सुदृढ़ करना।

<u>अध्याय 2</u>

2. संसाधन

2.1 <u>निधिकरण तथा गतिविधियां:</u>

2.1.1 सोद्देश्य तथा स्थिर नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से, निगम अपने सीएसआर उद्देश्यों को पूरा करने हेतु सी.एस.आर. वार्षिक बजट के रूप में, विगत 3 वर्षों के शुद्ध लाभ की कम से कम 2% धनराशि आंवटित करेगा।

परन्तु राहविनि, नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के संचालन के लिये, अपने कार्य स्थल के स्थानीय क्षेत्रों तथा आसपास के क्षेत्रों को धनराशि खर्च करने के लिए प्राथमिकता देगा।

परन्तु राहविनि यदि यह धनराशि खर्च नहीं कर पाता है तो मण्डल अपनी रिपोर्ट में खण्ड (0) के उपअनुच्छेद (3) के अनुच्छेद 134 के अंतर्गत धनराशि खर्च नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करेगा।

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप यदि सीपीएसई वर्ष विशेष में लाभ कमाता है तो विगत वर्ष के शुद्ध लाभ का न्यूनतम 2% खर्च करेगा, यद्यपि यह कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 135(1) के अनुसार नेट वर्थ या टर्नओवर या शुद्ध लाभ की प्रारम्भिक सीमा के अंतर्गत नहीं आता। राहविनि इसका भी अनुपालन करेगा।

राहविनि सीएसआर तथा स्थिरता नीति, जिसमे कि निधिकरण सम्मिलित होगा जोकि डीपीई दिशा निर्देशों, सीएसआर नियमों, कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 135 के प्राविधानों तथा समय समय पर हुये परिवर्तनों के अनुसार होगा।

2.1.2. राहविनि निम्नलिखित सीएसआर गतिविधियों हेतु उपरोक्तानुसार दर्शायी गयी धनराशि को वर्षानुवर्ष आधार पर खर्च करेगा।

2.1.2. (अ) गरीबी रेखा से नीचे (BPL) वैयक्तिक हथकरघा बुनकरों को हथकरघों तथा/ या सहायक उपकरणों/ या सोलर बैटरी लिंक्ड इनवर्टर लाइटिंग यूनिट (बीएलआईएलयू) का वितरण।

2.1.2. (ब) गरीबी रेखा से नीचे (BPL) वैयक्तिक हथकरघा बुनकरों को उपरोक्तानुसार हथकरघों के साथ प्रारम्भिक कच्चे माल (सूत) का वितरण।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कच्चे माल के अभाव में वितरित किए गए हथकरघे खाली न पड़े रहें, इसके लिए प्रारम्भिक कच्चा माल (सूत) भी उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे उससे कुछ वस्तुऐं तैयार कर बाज़ार में बेच सकें तथा इस प्रकार प्राप्त आय को कार्यशील पूंजी की भांति उपयोग कर सकें। इस तरह वे इस कार्यकलाप को निरन्तर चलाए रखने में सक्षम होंगे।

2.1.2.(स) बी पी एल के वैयक्तिक हथकरघा बुनकरों के बच्चों को तथा / या मेधावी छात्रों (जोकि हथकरघा/ वस्त्र का कोर्स कर रहे है), को छात्रवृत्ति देना। **।**

2.1.2.(द) कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के अनुसार कोई अन्य सीएसआर गतिविधि तथा इसमें समय समय पर हुये संशोधनों तथा उक्त विषय पर डीपीई/ सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों को भी सम्मिलित किया जाएगा। डीपीई द्वारा गठित एम ओ यू टास्क फोर्स द्वारा दी गयी किसी गतिविधि की सलाह को भी कवर किया जायेगा। कोई नयी सी एस आर गतिविधि को प्रारम्भ करने के पूर्व मण्डल द्वारा इसका अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

2.1.2.(य) अधिनियम की VII वीं अनुसूची में सूचीवद्ध सी एस आर गतिविधियों का चयन करतें समय राष्ट्रीय विकास कार्यसूची जैसे सभी को स्वच्छ पीने का पानी, विशेषकर लड़कियों के लिये शौचालयों, स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा इत्यादि मामलों को प्राथमिकता दी जायेगी। मुख्य ध्यान समाज के कमजोर वर्ग की मूलभूत आवश्यकताओं की सुविधा देने पर दिया जायेगा जोकि एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, बीपीएल परिवार, वृद्ध एवं बुजर्ग, महिलाओं/ लड़कियों, विकलांगों आदि को मिलने वाली सुविधाओं पर होगा।

2.1.3 निदेशक मण्डल के अनुमोदन द्वारा किसी एक वर्ष के लिए आवंटित सीएसआर धनराशि यदि खर्च/ उपयोग नहीं किया गया है, तो उसे अगले वर्ष अग्रेनीत किया जाएगा।

अध्याय 3

3. योजना

वर्ष के दौरान किये जाने वाले सी.एस.आर. क्रिया-कलापों का निर्णय मुख्यालय में लिया जाएगा तथा समयानुसार कार्यान्वयन हेतु उसकी सूचना क्षेत्रीय/ ज़ोनल कार्यालयों को दी जाएगी, नोडल अधिकारी (सीएसआर) के द्वारा मुख्यालय स्तर पर समग्र सीएसआर क्रियाकलापों का समन्वय स्थापित किया जाएगा।

अध्याय 4

4. कार्यान्वयन

4.1 राहविनि के विभिन्न क्षेत्रीय/ ज़ोनल कार्यालयों द्वारा वर्ष के लिए निर्धारित सी.एस.आर. कार्यक्रमों को पारिभाषित क्षेत्र परिधि में यथासम्भव पूरा किया जाएगा। हथकरघा क्षेत्र पर जोर दिया जाएगा।

4.2 एक कार्यक्रम विशेष की समयावधि/ कालावधि कितनी होगी, यह उस कार्यक्रम की प्रकृति, कवरेज सीमा तथा उसके अभीष्ट प्रभाव पर निर्भर करेगा। अतएव, इसकी सूचना मुख्यालय द्वारा क्षेत्रीय व जोनल प्रभारियों को मण्डल के अनुमोदन के पश्चात् प्रदान कर दी जाएगी।

4.3 कुल मिलाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सी.एस.आर. कार्यक्रम राहविनि के क्षेत्रीय/ ज़ोनल कार्यालयों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र परिधि में निष्पादित किये जाएं।

4.4 राज्य सरकार, जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, ग्राम पंचायत तथा केन्द्र सरकार के विभाग/ संस्थाएं, स्वयं सहायता समूह इत्यादि के द्वारा की गई पहल के साथ, राहविनि द्वारा शुरू किये गये कार्यों का सामन्जस्य स्थापित किया जाएगा।

4.5 सीएसआर के अन्तर्गत चिन्हित परियोजना कार्यकलापों को विशेषज्ञ संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, जिनमें स्वैच्छिक संगठन, औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से चुनी हुयी इकाइयॉं जैसे पंचायत, संस्थान/ शैक्षणिक संस्थान, न्यास, स्वयं सहायता समूह, सरकारी/ अर्ध-सरकारी/ स्वायत्तशासी संगठन, महिला मण्डल, व्यावसायिक सलाहकार संगठन, डी आई सी, डब्ल्यू एस सी आदि हो सकते हैं।

4.6 सी.एस.आर. कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण होंगे:-

4.6.1 कार्यक्रमों को चिन्हित करने का कार्य मुख्यालय स्तर पर किया जाएगा।

4.6.2 सीएसआर गतिविधियों का क्षेत्र: सीएसआर गतिविधियों को मुख्य रूप से राहविनि के संबन्धित क्षेत्रीय/ ज़ोनल कार्यालयों के अन्तर्गत आने वाले राज्यों में हथकरघा बुनकरों के स्थानीय क्षेत्रों में केन्द्रित किया जायेगा।

राहविनि द्वारा सीएसआर गतिविधि का उत्तरदायित्व शुरू करने के उददेश्य से 'स्थानीय क्षेत्र' का तात्पर्य, देश में उन क्षेत्रों से है जहॉ पर या उसके आसपास हथकरघे कार्यरत हैं।

स्थानीय क्षेत्रों को वरीयता देने के पश्चात, राहविनि देश में कहीं पर भी सीएसआर गतिविधि कर सकता है।

हथकरघा/ सहायक उपकरणों के वितरण हेतु परियोजना या उपरोक्तानुसार दर्शायी गयी अन्य गतिविधियों हेतु निगम के क्षेत्रीय/ जोनल कार्यालय अपने संचालन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायतों /डब्ल्यूएससी/ राज्य सरकार, जिसमें कि राज्य हथकरघा निदेशक/ डीआईसी सम्मिलित है, के द्वारा बी.पी.एल. हथकरघा बुनकरों या अन्य लाभार्थियों को चिन्हित करेंगे।

हथकरघा बुनकरों के निकटस्थ क्षेत्रों से, उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए हथकरघे/ सहायक उपकरण क्रय किए जाएगें तथा उन्हें हथकरघा बुनकरों के कार्यस्थल पर नि:शुल्क स्थापित किया जाएगा।

4.6.3 परियोजना आधारित पद्धति: राहविनि के क्षेत्रीय/ ज़ोनल कार्यालय, परियोजना आधारित उत्तरदायी पद्धति का अनुसरण करेंगे, ताकि सीएसआर परियोजना की स्थिरता पर बल दिया जा सके।

4.7 अनुमोदन हेतु शक्तियॉ

4.7.1 मुख्यालय द्वारा चिन्हित सी.एस.आर. कार्यक्रम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए जाएगे।

4.7.2 तत्काल एवं अत्यावश्यक, जरूरतों को पूरा करने हेतु, प्रस्तावों को अनुमोदित करने के लिए प्रबन्ध निदेशक को प्राधिकृत किया गया है।

4.7.3 मण्डल द्वारा वर्ष विशेष के लिए बजट एक बार स्वीकृत कर दिए जाने पर निगम उन्हीं सीमाओं में अपने कार्यों को पूरा करेगा।

4.8 निष्पादक संस्थाऐं/ भागीदार: राहविनि, सीएसआर उद्देश्यों के समनुरूप उपयुक्त कार्यक्रमों को कार्यान्वयन हेतु चिन्हित करेगा तथा साझेदारों व वह समुदाय, जिसके लिए यह कार्यक्रम निर्दिष्ट है, को भी लाभान्वित करेगा। यह कार्य निम्नांकित के माध्यम से किए जाएगें :-

i. समुदाय आधारित संगठन चाहे वे औपचारिक हों अथवा अनौपचारिक
ii. चयनित स्थानीय निकाय जैसे पंचायत
iii. स्वैच्छिक संस्थाऐं (एन जी ओ)
iv. संस्थान/ शैक्षणिक संस्थान
v. न्यास, मिशन
vi. स्वयं सहायता समूह (एस एल जी)
vii. सरकारी, अर्धसरकारी तथा स्वायत्तशासी संगठन
viii. स्टैडिंग कॉन्फ्रेन्स ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइज़ेस (स्कोप)
ix. महिला मण्डल/ समितियां
x. सिविल निर्माण कार्य हेतु अनुबन्धित संस्थाएं
xi. व्यावसायिक सलाहकार संगठन
xii. राज्य सरकार जैसे कि निदेशक राज्य हथकरघा, डी आई सी इत्यादि।
xiii. बुनकर सेवा केन्द्र

सीएसआर गतिविधियों/ परियोजनाओं पर बड़े सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय प्रभाव हेतु राहविनि, अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के सहयोग से भी सीएसआर गतिविधियों/ परियोजनाओं को प्रारम्भ कर सकता है।

4.9 निष्पादक संस्था की पहचान हेतु मानक: सम्बन्धित कार्य केन्द्र, कार्यक्रमों को चिन्हित करते समय, वाहय संस्था की पहचान भी करेंगे, जो उक्त कार्यक्रम को निष्पादित करेगी। यदि गैर सरकारी/ स्वैच्छिक संगठन द्वारा कार्यक्रम निष्पादित किया जाता है, तो निम्नलिखित न्यूनतम मानक पूरे होने चाहिए :-

i. गैर सरकारी संगठन/ संस्था का भारत वर्ष मे स्थायी कार्यालय/ पता होना चाहिए।
ii. गैर सरकारी संगठन, सोसायटीज़ रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत पंजीकृत होने चाहिए।
iii. उनके पास आयकर छूट का वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए।
iv. गैर सरकारी संगठन/ संस्था के पूर्ववृत सत्यापित/ पुष्टि होने पर मान्य।

4.10 राहविनि निष्पादक संस्था के बीच अनुबन्ध: जिन कार्यक्रमों को गैर सरकारी संगठनों/ स्वैच्छिक संगठनों द्वारा निष्पादित/ कार्यान्वित किया जाएगा, उनके साथ निदेशक मण्डल से कार्यक्रमों के अनुमोदन के पश्चात् **'स्टैन्डर्ड मॉडल एग्रीमेन्ट'** के अनुसार एक अनुबन्ध किया जाएगा।

अध्याय 5

5. अनुश्रवण तथा प्रतिक्रिया

5.1 प्रत्येक क्षेत्रीय/ ज़ोनल कार्यालयों द्वारा प्रारम्भ किए गए सी.एस.आर. कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु क्षेत्रीय/ ज़ोनल प्रभारी द्वारा एक अनुश्रवण प्रणाली बनायी जाएगी। क्षेत्रीय/ ज़ोनल कार्यालयों द्वारा कार्यान्वित सीएसआर कार्यक्रमों की प्रगति, प्रत्येक माह मुख्यालय में नोडल अधिकारी (सीएसआर), को रिपोर्ट की जाएगी तथा वर्ष विशेष की परियोजनाओं के पूर्ण होने पर सचित्र सम्पूर्ण रिपोर्ट व व्यय का विवरण इत्यादि भेजा जाएगा।

5.2 मुख्यालय द्वारा, स्वतन्त्र व्यवसायिक तृतीय पक्षों/ व्यवसायिक संगठनों के माध्यम से कार्यक्रमों की प्रभावकारिता को जानने हेतु, विशेष रूप से नीतिगत तथा हाई वैल्यू कार्यक्रमों के सम्बन्ध में, इम्पैक्ट स्टड़ीज़ करायी जा सकती है। जिसका व्यय सीएसआर बजट से किया जाएगा।

5.3 क्षेत्रीय/ ज़ोनल कार्यालय, लाभान्वितों से, कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने का भी प्रयास करेंगे।

5.4 राहविनि सीएसआर एवं स्थिरता नीति, वार्षिक सीएसआर क्रियाकलापों, निष्पादक भागीदारों एवं किए गए खर्च का समुचित प्रलेखन, नियमित आधार पर किया जाएगा तथा यह प्रलेख सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध रहेंगे।

5.5 निगम की सीएसआर पहल को कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में भी दर्शाया जाएगा।

अध्याय 6

6 सामान्य

6.1 नीति के किसी प्राविधान तथा इसके अन्तर्गत शामिल न किए गए मामलों के प्रति यदि कोई सन्देह है, तो उसे प्रबन्ध निदेशक को सन्दर्भित किया जाएगा। ऐसे सभी मामलों में प्रबन्ध निदेशक की व्याख्या तथा निर्णय अन्तिम होंगे।

6.2 सीएसआर तथा स्थिरता नीति के किसी अथवा सभी प्राविधानों को कम्पनी अधिनियम 2013 (अनुसूची VII सहित), सीएसआर नियमों तथा उनमें किसी परिवर्तन और समच - समय पर डीपीई/ सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार लागू किया जाएगा। इन्हें, जब भी निर्गत किया जाएगा तभी से, राहविनि की सीएसआर तथा स्थिरता नीति में सम्मिलित माना जाएगा।

6.3 इन नियमों में से किसी भी नियम को संशोधित, निरस्त, परिवर्धन या परिवर्तन का अधिकार निगम को होगा।

****